

08.12.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो व तीन की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत उपस्थित। अप्रार्थी संख्या चार की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी की मूल अपील निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Pulla
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही

